न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 106/2025(GCMS 2025/420)
(RTI No. 212574612341588)

श्री राधेश्याम गोयल चैम्बर नम्बर बी–64, कलक्ट्रेट परिसर, जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94139–35077)

<u>बनाम</u>

अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.12.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2025 से अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से दस बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई, इसलिए अपीलार्थी ने यह अपील पेश कर, लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न दस बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

> सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर पत्रांक 02.09.2021 में अंकित क्रम संख्या 01 से 10 में अंकित जिला कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर की गई समस्त कार्यवाही की सूचनए एवं पत्रांक 081 की प्रमाणित प्रतियां :
>
> 1. पत्रांक प्रार्थी 8135 दिनांक 19.06.2021 – 08
> 2. पत्रांक प्रार्थी 8166 दिनांक 22.06.2021 – 12
> 3. पत्रांक प्रार्थी 8042 दिनांक 14.05.2021 – 01
> 4. पत्रांक प्रार्थी शून्य दिनांक 21.06.2021 – 14
> 5. पत्रांक प्रार्थी 8038 दिनांक 16.05.2021 – 01
> 6. पत्रांक प्रार्थी 8107(ए) दिनांक 26.06.202[illegible] [illegible]
> 7. पत्रांक प्रार्थी 8036 दिनांक 16.05.2021 – 0[illegible]
> 8. पत्रांक प्रार्थी शून्य दिनांक 25.06.2021 [illegible]
> 9. पत्रांक प्रार्थी 8106 दिनांक 23.06.2021 – 11
> 10. पत्रांक प्रार्थी 8107 दिनांक 23.06.2021 – 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

लोक **सूचना** अधिकारी **एवं** अति. जिला **कलक्टर**, (सतर्कता), **श्रीगंगानगर** ने अपने पत्र क्रमांक एफ.14/सतर्कता/2025/126 दिनांक 29.10.2025 से अपीलार्थी के निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार है:

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना	प्रत्युत्तर
1	सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर पत्रांक 02.09.2021 में अंकित क्रम संख्या 01 से 10 में अंकित जिला कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर की गई समस्त कार्यवाही की सूचनए एवं पत्रांक 081 की प्रमाणित प्रतियां : 1. 8135 दिनांक 19.06.2021 – 08 2. 8166 दिनांक 22.06.2021 – 12 3. 8042 दिनांक 14.05.2021 – 01 4. शून्य दिनांक 21.06.2021 – 14 5. 8038 दिनांक 16.05.2021 – 01 6. 8107(ए) दिनांक 26.06.2021 – 01 7. 8036 दिनांक 16.05.2021 – 01 8. शून्य दिनांक 25.06.2021 – 22 9. 8106 दिनांक 23.06.2021 – 11 10. 8107 दिनांक 23.06.2021 – 10	आपके द्वारा चाही गई सूचना (81 प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियां) कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार, इस कार्यालय द्वारा विभिन्न विभागों को, जिनसे पत्र संबंधित थे, को मूल ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई गई है। जिस कारण आप द्वारा चाही सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः आप संबंधित विभाग में नियमानुसार आवेदन करके सूचना प्राप्त कर सकते है।

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर आवेदक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी का किसी भी कार्य को किसी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 106/2025
(GCMS No. 2025/420)
(RTI No. :212574612341588)

विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **लोक सूचना अधिकारी** द्वारा अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हु**ए, लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाओं से सम्बन्धित पत्रावली का उसे अवलोकन करवा देवें और अपीलार्थी उस पत्रावली से कोई सूचना चाहे तो उसे सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ, एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:31 IST
Reason: SelfAttested